फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, चेम्बर नं0 17, न्यायालय परिसर, राजसमन्द —**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 70/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 15.02.2021

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/1097—98 दिनांक 28.12.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 16.10.2020 व इस अनुभाग को 19.10.2020 को प्राप्त हुआ हैं। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग द्वारा वांछित सूचना जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2020/705 दिनांक 02.11.2020 से उपलब्ध कराई गई जिसके कुल 08 पृष्ठ होने से कुल राशि 16/— रूपये जमा कर प्रार्थी को वांछित सूचना दिनांक 10.11.2020 से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील से जो सूचना चाही जा रही हैं उसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2020/705 दिनांक 02.11.2020 से अवगत किया गया हैं कि तृतीय पक्ष की होने से नही दी जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)